उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास विभाग
संख्या 4162/XI/14/56(21)2011
देहरादून, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014

कार्यालय आदेश/शुद्धि पत्र

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) सहायतित उत्तराखण्ड हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना के सफल संचालन को दृष्टिगत रखते हुये इस योजना के द्वितीय चरण के रूप में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018-19 (07 वर्ष) की अवधि के लिये एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) के नाम से प्रारंम्भ करते हुये ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 3048/XI/14/56(21)2011 दिनांक 21.03.2014 के द्वारा इस परियोजना हेतु कुल 149 पदों का सृजन किया गया है, जिसमें उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी (उपासक) हेतु कुल 11 पद सृजित है, जिसमें उपासक के प्रबन्ध निदेशक के पद के लिये यह व्यवस्था की गयी है कि परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति ही इसका कार्य अतिरिक्त कार्यभार के रूप में देखेंगे।

2— दिनांक 30.09.2014 को अध्यक्ष, उपासक/अपर मुख्य सचिव एवं एफ0आर0डी0सी0, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एजीएम की बैठक हुयी जिसमें अन्य के साथ यह निर्णय लिया गया कि उपासक के प्रबन्ध निदेशक का जो कार्य अभी तक परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति द्वारा अतिरिक्त कार्यभार के रूप में देखा जा रहा था वह अब सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा देखा जायेगा, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपासक द्वारा उपासक के सम्बन्ध में कोई भी रिपोर्ट अब सीधे प्रबन्ध निदेशक, उपासक (सचिव, ग्राम्य विकास) को प्रस्तुत करेंगे।

3— उक्त आदेश दिनांक 21.03.2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा।

(एस0राजू),
अध्यक्ष,उपासक/
अपर मुख्य सचिव एवं
एफ0आर0डी0सी0,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 4162/XI/14/56(21)2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रबन्ध निदेशक,उपासक,देहरादून।
2— परियोजना निदेशक,आई0एल0एस0पी0,पण्डितवाडी देहरादून।
3— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक देहरादून।
4— अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,उपासक।
5— गार्ड फाइल।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना
(UGVS)
पंजीकरण संख्या 1798
दिनांक 13.10.2014
पत्रावली संख्या 02(16)
शाखा

Desktop : U.O.docx